निविदा की समय-सारणी

क्र.	मद	समय-सारणी
1.	कार्य का नाम	सिक्कों के थैले तथा नोट बॉक्स प्रबंधन हेतु पर्याप्त संख्या में वयस्क तथा शारीरिक सक्षम मजदूरों की आपूर्ति
2.	ई-निविदा संख्या	RBI/Bhopal/Issue/21/18-19/ET/248
3.	निविदा का मोड	ई निविदा (खुली निविदा) भाग-I : तकनीकि बोली भाग- II : मूल्य बोली (www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi) द्वारा
4	i) बयाना राशि (ईएमडी) ii) अंतरण फीस	**₹ 50,000/- (पचास हज़ार मात्र)** जिसका भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक, भोपाल के पक्ष में एनईएफ़टी के माध्यम से किया जाना है । ₹ 500/- जीएसटी अतिरिक्त (@18%) अंतरण शुल्क का भुगतान एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में एमएसटीसी भुगतान गेटवे/एनईएफटी/ आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा.
5.	विज्ञापन की तारीख	**20.02.2019**
6.	भारतीय रिज़र्व वेबसाइट पर निविदा दस्तावेज अपलोड करने की तारीख	**20.02.2019**
7.	एमएसटीसी की वेबसाइट पर ई-निविदा देखने की तारीख	**20.02.2019**
8.	बोली पूर्व बैठक का समय एवं स्थान (वैकिल्पक)	**26.02.2019**
9.	ई-निविदा प्रारंभ करने की तारीख (तकनीकि बोली और मूल्य बोली की प्रस्तुति)	**27.02.2019**
10.	बयाना राशि और अनुलग्नक-1 जमा करने की अंतिम तारीख	**12.03.2019 (मंगलवार, शाम 5:00 बजे)**
11.	एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में एमएसटीसी भुगतान गेटवे /एनईएफटी/ आरटीजीएस के माध्यम से अंतरण फीस जमा करने की अंतिम तारीख	**12.03.2019 (मंगलवार, शाम 5:00 बजे)**
12.	ई-निविदा जमा करने की अंतिम तारीख	**12.03.2019 (मंगलवार, शाम 5:00 बजे)**
13.	भाग-I (तकनीकी बोली) एवं ईएमडी खोलने की तारीख एवं समय	**13.03.2019 (बुधवार, दोपहर 12:00 बजे)**
14.	भाग-II (मूल्य बोली) को खोलने की तारीख एवं समय	**13.03.2019 (बुधवार, दोपहर 12:00 बजे)**

निविदाकताओं के लिए अनुदेश एवं विशेष शर्ते

एमएसटीसी से पंजीकृत निविदाकताओं द्वारा, भारतीय रिज़र्व बैंक, भोपाल, सिक्कों के थैले तथा नोट बॉक्स प्रबंधन हेतु सिक्को के परिवहन हेतु पूर्ण रूप से ढके हुए कंटेनर ट्रक / वाहन की पर्याप्त संख्या में आपूर्ति की निविदा को एमएसटीसी के वेब पोटर्ल पर पंजीयन के बाद दर्शाया जाएगा।

क. सामान्य अनुदेश

1) भारतीय रिजर्व बैंक (जिसे बाद में बैंक कहा जायेगा) निविदाकर्ताओं द्वारा अन्य शर्ते तय करने को प्रोत्साहित नही करता है ।

2) निविदा फॉर्म **इलेक्ट्रोनिक रूप से** (अनुलग्नक-1 को छोड़कर) भरा जाएगा। किसी दस्तावेज़ के अभाव होने की स्थिति में, निविदा के निणर्य पर अमान्य मानी जाएगी। चूंकि अनुलग्नक-1 को छोड़कर अन्य सभी दस्तावेजों को, उपयुक्र्त, निविदाकर्ताओं के डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से अपलोड किया जाएगा, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं है।

3) सभी निविदाएँ, निविदा खोलने की दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए बैंक की स्वीकृति हेतु मान्य रहेगी। इस अवधि को परस्पर सहमति से बढ़ाया भी जा सकता है । निविदाकर्ता इस अवधि के दौरान निविदा को निरस्त या वापस नहीं करेगा ।

4) निविदा खोलने के बाद, निविदा की दर या शर्तो में परिवतर्न का कोई अनुरोध स्वीकार नही किया जाएगा।

5) यदि यह अवार्ड किया जाता है, तो संविदाकार इस क़रार को किसी अन्य फर्म को नहीं सोपेगा। वह संविदा के किसी भी भाग का उप-ठेका (sublet) नहीं करेगा, ऐसा करने के लिए उसे बैंक से लिखित अनुमति लेनी होगी।

6) आवेदक के पास निविदा के अनुसार कार्य के निष्पादन के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए तथा उसका किसी अनुसूचित वाणिज्यक बैंक में खाता होना चाहिए। उसे बैंक का नाम तथा पता खाते की जानकारी प्रस्तुत करनी होगीं।

ख. बयाना राशि जमा (ईएमडी) एवं प्रतिभूति जमा (सेक्युर्टी जमा)

आवेदक को दिनांक 12.03.2019 को या पहले, बयाना राशि रु. 50,000 (रुपए पचास हज़ार मात्र) को अनुलग्नक 1 के अनुसार एनईएफ़टी के माध्यम से जमा करनी होगी।

1) सफल निविदाकर्ता के साथ क़रार का निष्पादन होने पर सभी निविदाकताओं को बयाना राशि जमा वापस कर दी जाएगी।

2) प्रतिभूति जमा किये जाने पर, सफल निविदाकर्ता को बयाना राशि वापस कर दी जाएगी। यदि सफल निविदाकर्ता बैंक के साथ क़रार का निष्पादन करने में विफल रहता है तो, उसके द्वारा जमा की गई बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।

3) बैंक से उसकी/उनकी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता को प्रतिभूति जमा के लिए इलेक्ट्रोनिक माध्यम से, रु. 2,00,000/- (रुपए दो लाख मात्र) की राशि बैंक में जमा करनी होगी जिसे बैंक द्वारा इस संविदा की मान्यता रहने तथा /या उसकी बढ़ी हुई अवधि तक रखा जाएगा ।

4) बयाना राशि या प्रतिभूति जमा पर कोई ब्याज नही दिया जाएगा ।

ग. भाग – I (तकनीकी बोली)

1) निविदा का भाग –I "तकनीकी बोली" होगा जिसमे निविदा फॉर्म रहेगा ।

2) निविदाकर्ता को उन सभी अनुबंधो का विवरण देना होगा जिनके अंतगर्त उसने इससे पूर्व में ऐसी सेवाएँ प्रदान की है ।

3) तकनीकी बोलियों को दिनांक **13.03.2019 को दोपहर 03:30 बजे** खोला जाएगा ।

घ. भाग – II (मूल्य बोली)

1) निविदा के भाग II में केवल "मूल्य बोली" होगी ।

2) मूल्य केवल "**भारतीय रुपए**" में, संख्या तथा शब्दो दोनों रुप में उधृत करना होगा। संख्या तथा शब्दो में अंतर होने की स्थिति में, शब्दो में उधृत मूल्य को मान्य माना जाएगा। निविदाकर्ताओं को प्रारूप के अनुसार दर उधृत करनी होगी।

3) उधृत दरें संविदा की पूरी अवधि (अथार्त 01.04.2019 से 31.03.2020 तक) के लिए तथा/या बढ़ाई गई अवधि के लिए मान्य रहेगी और एक्स्चेंज बद्लाव, श्रमिक या रेलवे भाड़े में उतार-चढ़ाव या किसी अन्य परिस्थिति के कारण हुए बदलाव के अधीन नहीं होगी।

4) दिए गए मूल्यों में समस्त कर, शुल्क, स्थानीय लेवी, कार्य संविदा कर, जीएसटी, अथवा वर्तमान दरों पर केंद्र / राज्य सरकार / स्थानीय निकायों द्वारा लागू अन्य कोई भी कर शामिल होंगे ।

5) मूल्य बोली को दिनांक **13.03.2019 को दोपहर 03:30 बजे** खोला जाएगा।

कार्य का दायरा:

निविदाकर्ता वयस्क एवं शारीरिक सक्षम श्रमिकों / मजदूरों की पर्याप्त आपूर्ति करेगा जैसा कि अपेक्षित है:

i. आरबीआई (भोपाल), भारत सरकार की टकसाल (टकसाल का स्थान) अथवा बैंक द्वारा पहचाने गए किसी भी अन्य परिसर में सिक्कों को लादना, उतारना, वजन करना, गाड़ी चलाना, बैग में पैक सिक्कों का ढेर लगाना तथा विविध आकस्मिक कार्य हेतु।
ii. आरबीआई (भोपाल) के परिसर, रेल्वे स्टेशन/हवाई अड्डा अथवा बैंक द्वारा पहचाने गए किसी भी अन्य परिसर में नोटों के भरे हुए बक्से को लादना, उतारना, स्टैकिंग हेतु ।

पात्रता:

निविदाकर्ता प्रतिष्ठित, अनुभवी, तथा लाईसेंसधारी श्रमिक ठेकेदार होना चाहिए, जो निम्नानुसार हो:

i. इस प्रकार का कार्य करने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव हो ।
ii. लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों द्वारा विधिवत समर्थित पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कुल अनुमानित व्यय का कम से कम 25% औसत वार्षिक टर्न ओवर ।

iii. नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार सकारात्मक निवल संपत्ति । निविदाकर्ता बैंक द्वारा विधिवत सत्यापित शोध क्षमता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे ।
iv. ठेकेदार के पास सहायक श्रम आयुक्त, भारत सरकार द्वारा जारी वैध लाइसेंस होना चाहिए जो संविदा श्रम (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 12(1) तथा संविदा श्रम (विनियमन तथा उन्मूलन) केंद्रीय नियमन, 1971 के तहत प्रदत्त हो ।
v. निविदाकर्ता के पास स्थायी खाता संख्या (PAN) तथा जीएसटीएन (GSTN) संख्या होगी, जो करों के भुगतान हेतु लागू हों।
vi. सफलतापूर्वक ठेका दिए जाने के मामले में, निविदाकर्ता के पास करार के निष्पादन के लिए बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के निगम क्षेत्र में एक कार्यालय / स्थानीय प्रतिनिधि होगा ।
vii. निविदाकर्ता किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में खाता रखेगा। बैंक का नाम तथा रखे गए खाते का प्रकार बैंक को प्रस्तुत करना होगा ।

नोट: निविदाकर्ता आवश्यक योग्यता / पात्रता रखने के अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करेंगे।

प्रारम्भ / नवीनीकरण:

i. बैंक से उसकी निविदा की प्राप्ति की स्वीकृति प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता(ओं) करार को निष्पादित तथा कार्यान्वित करने हेतु बाध्य होंगे । सफल निविदाकर्ता(ओं) निविदा दस्तावेज़ की शर्तों के अनुसार बैंक के साथ एक सप्ताह में एक करार तथा दरों की अनुसूची पर हस्ताक्षर करेंगे ।
ii. एक बार में करार एक वर्ष के लिए वैध होगा (अर्थात अप्रैल 2019 – मार्च 2020) जिसको बैंक द्वारा आगे दो वर्षों की अवधि के लिए, करार के नियमों व शर्तों के संतोषजनक कार्यनिष्पादन के अधीन, एक वर्ष में एक बार प्रत्येक नियम तथा शर्तों के साथ / बिना किसी विविधता के बढ़ाया जा सकता है ।
iii. जब करार की अवधि लगभग समाप्त होने वाली हो, बैंक द्वारा करार को बढ़ाने के मामले पर विचार किया जा सकता है । मौजूदा करार की समाप्ति के तीन माह पहले, निविदाकर्ता बैंक को लिखित में उपलब्ध करवाएगा कि क्या वह मौजूदा नियम व शर्तों के अधीन इस करार को आगे की अवधि के लिए नवीनीकरण करने हेतु इच्छुक है ।
iv. यदि 01 अप्रैल 2020 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष के लिए नया करार किसी भी कारण से क्रियान्वित नही हो पाता है तो, संविदाकार को, महाप्रबंधक, निर्गम विभाग के आदेश से, वतर्मान करारनामे की समाप्ति की दिनांक से तीन महीने की आगे की अवधि तक के लिए उन्ही नियम व शर्तो पर कार्य करना होगा ।

प्रतिभूति:

ठेकेदार करार के निष्पादन तथा बकाया पूर्ति के लिए बैंक के पास प्रतिभूति जमा के रूप में रु. 2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र) जमा करेगा तथा प्रतिभूति जमा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

ठेकेदार के दायित्व:

वैधता अवधि की समाप्ति तक करार का सफलतापूर्वक निष्पादन करवाने की ज़िम्मेदारी ठेकेदार की होगी । यदि ठेकेदार दिए गए कार्य को करने में असफल होता है, तो उसकी प्रतिभूति जमा को जब्त कर लिया जाएगा । आगे ठेकेदार की ओर से किसी भी प्रकार की लापरवाही से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति भी ठेकेदार को करनी होगी तथा इसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा ।

i. अनुबंध अवधि के दौरान हर समय, ठेकेदार महाप्रबन्धक / प्रभारी उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, निर्गम विभाग, भोपाल अथवा उसके अधीनस्थ किसी भी अधिकारी/यों से इस आशय का लिखित अथवा मौखिक अनुरोध प्राप्त होने के 12 घंटे के भीतर सिक्कों के थैलों तथा नोटों के बक्सों को संभालने के लिए तथा निर्गम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भोपाल में विविध आकस्मिक कार्य करने, जैसा कि नोटिस में दर्शाया गया है, के लिए आवश्यक शारीरिक सक्षम श्रमिकों / मजदूरों की आपूर्ति करेगा ।

ii. यदि सामान्य कारोबारी घंटों से अधिक कार्य करने की आवश्यकता हो अथवा शनिवार तथा रविवार सहित उस दिन/दिनों को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया हो अथवा इस संबंध में कोई अन्य मौजूदा कानून / प्रावधान लागू हों तो भी दिए गए नोटिस का अनुपालन किया जाएगा ।

iii. अत्यावश्यक अवसरों/मामलों में ठेकेदार तीन घंटे की अल्प सूचना पर पर्याप्त संख्या में मजदूर उपलब्ध करवाने के अनुरोध का अनुपालन करेगा । किसी भी अवसर / मामले के अत्यावश्यक होने के संबंध में निर्णय करने का अधिकार बैंक के पास रहेगा तथा यह इस करार के उद्देश्य के लिए पर्याप्त होगा कि बैंक ने इस प्रकार के नोटिस के बारे में सूचित किया है तथा इसे अत्यावश्यक के रूप में चिन्हित किया है। ठेकेदार उसका अनुपाल्न करेगा तथा तदनुसार कार्य करेगा । सिक्कों के थैलों तथा नोट बॉक्स की लोडिंग अनलोडिंग एक बंद क्षेत्र अथात सुरक्षित यार्ड में की जाएगी ।

iv. ठेकेदार करार को आगे निरूपित नहीं करेगा । वह बैंक की पूर्व लिखित सहमति के अतिरिक्त करार के किसी भी हिस्से का कार्य किसी और को नहीं देगा । इस शर्त का उल्लंघन करने पर, बैंक करार को रद्द कर सकता है तथा प्रतिभूति जमा को जब्त कर सकता है ।

v. ठेकेदार उसके मजदूरों की अयोग्यता / गतिविधियों अथवा ठेकेदार द्वारा अपर्याप्त मजदूर लगाने अथवा किसी असमर्थता से, सिक्के के थैलों / नोट बॉक्स को तोलने, लोडिंग, अनलोडिंग, भण्डारण, कार्टिंग, पैकिंग, अनपैकिंग, लाना तथा सुपुर्दगी में लापरवाही दोष तथा विलंब अथवा ठेकेदार की ओर से या उसके मजदूरों या ठेकेदार द्वारा लगाए गए किसी भी कार्मिक की ओर से धोखाधड़ी या बेईमानी के कृत्य के कारण हुई हानि को दुरूस्त करेगा तथा बैंक को इसकी हानि तथा क्षति की क्षतिपूर्ति करेगा ।

vi. बैंक को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार को निर्देश दे कि वह किसी ऐसे मजदूर/श्रमिक को काम पर न लगाए जो उक्त कार्य करने में असमर्थ तथा/अथवा अक्षम हो । बैंक को यह भी अधिकार होगा कि वह ठेकेदार को यह निर्देश दे कि वह किसी भी ऐसे श्रमिक / मजदूर की सेवाएँ लेना बंद कर दे जो बैंक में या उक्त कार्य को करते समय किसी भी बेईमानी अथवा धोखाधड़ी की गतिविधि में किसी भी प्रकार लिप्त पाए जाते हैं । बैंक से इस प्रकार के निर्देश मिलने के पश्चात, ठेकेदार बैंक में उक्त कार्य करने वाले श्रमिकों / मजदूरों की सेवाए लेना तुरंत बंद कर देगा । यदि ठेकेदार बैंक के निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहता है तो बैंक इस प्रकार के गैर अनुपालन की अवधि हेतु प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रु. 500/- (रुपये पाँच सौ मात्र) का जुर्माना लगा सकता है । निरंतर गैर अनुपालन अथवा इस प्रकार की पुनरावृति के मामले में बैंक करार को रद्द कर सकता है तथा प्रतिभूति जमा को जब्त कर सकता है।

vii. ठेकेदार उसके द्वारा लगाए गए मजदूरों को होने वाली व्यक्तिगत चोटों की संभावना के लिए उपयुक्त देयता बीमा कवर लेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि इस करार की अवधि के दौरान यह बीमा कवर वैध होना चाहिए । महाप्रबंधक / प्रभारी उप महाप्रबंधक, निर्गम विभाग को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार द्वारा लिए गए बीमा कवर की उपयुक्तता के बारे में स्वयं की संतुष्टि के लिए इसकी जांच, सत्यापन तथा परीक्षण करने के लिए ठेकेदार को यह बीमा कवर प्रस्तुत करने हेतु कह सकता है । यदि महाप्रबंधक / प्रभारी उप महाप्रबंधक, निर्गम विभाग यह निर्धारित करता है कि यह बीमा कवर पर्याप्त (राशि) नहीं है अथवा उन जोखिमों को कवर नहीं करता है जो संविदा कर्मचारियों के कार्य में शामिल जोखिम के संबंध में कर्मचारियों / मजदूरों के लिए संभावित हैं, तो ठेकेदार । यदि महाप्रबंधक / प्रभारी उप महाप्रबंधक, निर्गम विभाग

अपर्याप्तता को पूर्ण करने के लिए वर्तमान बीमा में कवर नहीं किए गए जोखिमों को शामिल करने के साथ साथ अतिरिक्त राशि का बीमा कवर खरीदेगा, यदि वह इसको खरीदने में असफल होता है तो बैंक अतिरिक्त राशि / अतिरिक्त जोखिम हेतु बीमा खरीद सकता है । बैंक इस संबंध में अपने द्वारा किए गए खर्च की वसूली ठेकेदार से करेगा ।

viii. ठेकेदार बैंक से ठेका मिलने के संबंध में पत्र प्राप्त होने के तुरंत पश्चात एक सूची प्रस्तुत करेगा जिसमें उन मजदूरों, पर्यवेक्षकों अथवा अन्य कर्मचारियों / अधिकारियों के नाम होंगे जो इस करार की विषय वस्तु के कार्य में शामिल हैं । ठेकेदार उक्त के संदर्भ में मजदूरों, सहायकों, पर्यवेक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के फोटोग्राफ, निवास का पता, स्थायी पता तथा चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा । करार को प्रारम्भ करने से पहले ठेकेदार सभी मजदूरों, सहायकों, पर्यवेक्षकों अथवा अन्य कर्मचारियों / अधिकारियों के पुलिस विभाग द्वारा सत्यापित पूर्ववृत तथा चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा ।

ix. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कार्य / गतिविधियां सुचारू, सावधानीपूर्वक, शीघ्र तथा कार्य करने के तरीके से किए जाएँ । सभी कार्य / गतिविधियां नोट बॉक्स / सिक्के के थैलों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए किया जाना चाहिए ।

x. इस करार के तहत कार्य के निर्वहन हेतु लगे हुए संविदा श्रमिकों का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण ठेकेदार द्वारा किया जाएगा । संविदा श्रमिकों की उपस्थिती / अनुपस्थिति को चिन्हित करने के लिए रिकॉर्ड / मस्टर के रखरखाव की ज़िम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा इस प्रकार के रिकॉर्ड मस्टर सदैव ठेकेदार के नियंत्रण में होंगे ।

xi. ठेकेदार इस करार के दौरान हर समय संविदा श्रमिकों के बीच अनुशासन बनाए रखेगा तथा छुट्टी अतवा अनुपस्थिति से संबन्धित मुद्दों का प्रबंधन करेगा। ठेकेदार उन सभी मजदूरों तथा अन्य कार्मिकों को फोटो पहचान पत्र जारी करेगा जो इस करार के विषय अथवा कार्य से जुड़े हुए हैं ।

भुगतान तथा कर:

i. भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा।

ii. ठेकेदार को प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क का भुगतान इस करार की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर किया जाएगा । प्रस्तुत किए गए उक्त शुल्क स्थायी हैं तथा करार की पूरी अवधि के दौरान किसी भी आधार पर बढ़ाए नहीं जा सकते तथा ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार के अतिरिक्त प्रभारों दावा नहीं किया जा सकेगा। दिए गए मूल्यों में समस्त कर, शुल्क, स्थानीय लेवी, कार्य संविदा कर, जीएसटी, अथवा वर्तमान दरों पर केंद्र / राज्य सरकार / स्थानीय निकायों द्वारा लागू अन्य कोई भी कर शामिल होंगे । यदि निविदाकर्ता निविदा में इस प्रकार के कर शामिल करने में विफल होता है, तो इसके पश्चात बैंक द्वारा इस प्रकार के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा ।

iii. यदि भुगतान के पश्चात लेखा परीक्षा अथवा तकनीकी जांच अथवा अन्य माध्यम के परिणामस्वरूप किसी अधिक भुगतान (ओवरपेमेंट) का पता चलता है तो बैंक के पास इसकी वसूली / पुनर्प्राप्ति वसूली का अधिकार सुरक्षित है ।

iv. सभी क्षतिपूर्ति अथवा ठेकेदार द्वारा बैंक को देय राशि करार की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी अथवा भुगतान करने वाले अन्य बकाया अथवा ठेकेदार को किए जाने वाले आगामी भुगतान में से काट ली जाएगी ।

v. किसी भी विवाद की स्थिति में, जिसके कारण कोई देयता समायोजित होती है, उस स्थिति में क्षेत्रीय निदेशक / कार्यालय प्रभारी, भारतीय रिजर्व बैंक, भोपाल निर्णय अंतिम होगा तथा यह दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा ।

अयोग्यता / समाप्ति / दण्ड :

i. यदि निविदाकर्ता द्वारा अथवा उसकी ओर से कोई भी बैंक द्वारा जांच, तुलना, मूल्यांकन तथा ठेका देने के लिए लिए गए निर्णय के संबंध में राजनीतिक तथा अन्य बाहरी प्रभाव डालने के लिए प्रयास करता है तो इसे एक गंभीर दुर्व्यवहार के रूप में माना जाएगा । इस प्रकार के मामले में बैंक निविदाकर्ता को न्यूनतम एक वर्ष की अवधि, जो तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, के लिए ब्लैकलिस्ट करने सहित निविदाकर्ता की निविदा को निरस्त करने के लिए उत्तरदायी होगा । यदि इस प्रकार के उदाहरण का पता चयन प्रक्रिया के दौरान नहीं चलता है तथा बाद में चलता है तो ऐसी अयोग्यता तत्काल प्रभाव से लागू होगी ।

ii. करार को दोनों पक्षों द्वारा अन्य पक्ष को इस तरह की समाप्ति का तीन माह का लिखित नोटिस देकर किसी भी कारण से समाप्त किया जा सकता है ।

iii. ठेकेदार की ओर से श्रमिक / मजदूरों की आपूर्ति के लिए बैंक द्वारा दिए गए अनुरोध के अनुपालन में कोई विलंब अथवा करार के लिए बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के उल्लंघन करने की स्थिति में महाप्रबंधक / प्रभारी उप महाप्रबंधक, निर्गम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भोपाल द्वारा विचार किए जाने पर यह गंभीरता दण्ड लगाने हेतु पर्याप्त है, उक्त महाप्रबंधक / प्रभारी उप महाप्रबंधक अपने क्षेत्रीय निदेशक / प्रभारी अधिकारी के परामर्श से ठेकेदार पर अधिकतम रु. 5000/- (रुपये पाँच हजार मात्र) का दण्ड लगा सकता है ।

सांविधिक अनुपालन :

ठेकेदार देश में तथा संबन्धित राज्य(यों) में प्रभावी सभी प्रासंगिक क़ानूनों का पालन करने हेतु बाध्य होगा । ठेकेदार उसकी ओर से किसी भी लापरवाही के कारण सभी कानूनी निहितार्थों की क्षतिपूर्ति करेगा तथा बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा ।

i. ठेकेदार सभी अन्य सांविधिक भुगतानों के अतिरिक्त कैंद्रीय सरकार केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार सभी लागू सांविधिक भुगतान, समय समय पर जो भी अधिक हो, जैसे न्यूनतम मजदूरी, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (इएसआईसी), अपने लगाए गए कामगारों / श्रमिकों को ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेजुएटी का भुगतान करेगा ।

ii. कामगारों / श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनयम, 1948 के तहत न्यूनतम भुगतान किया जाना चाहिए और इसके लिए नियम बनाए गए हैं । इसके अतिरिक्त, कामगारों / श्रमिकों को ईपीएफ अधिनियम, 1952 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि, बोनस का भुगतान अधिनियम, 1965 के तहत बोनस अथवा लाभांश तथा ईएसआई अधिनियम के तहत ईएसआई, जो भी लागू हो, का भुगतान करेगा। ईएसआई की अनुपस्थिति में, ठेकेदार बीमा कवरेज के तहत, जैसे श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत, देयता की घोषणा करेगा । इसका कुल प्रीमियम ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा । ठेकेदार के पास अपने कामगारों /श्रमिकों का पीएफ अंशदान करने के लिए वैध पीएफ खाता होगा । किसी भी सांविधिक भुगतान संबन्धित अनुपालन नहीं करने की शिकायत की स्थिति में, बैंक के करार रद्द करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बिल से इसकी कटौती की जाएगी।

iii. ठेकेदार प्रचलित क़ानूनों के अनुसार सभी रिकॉर्ड तथा कानूनी दस्तावेजों को अद्यतन रखेगा तथा जब एवं जैसे भी मांगा जाए इसे सांविधिक प्राधिकारियों / प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

iv. ठेकेदार बाल श्रमिकों की आपूर्ति नहीं करेगा, जो बाल श्रम अधिनियम, 1986 के तहत प्रतिबंधित है ।

v. वेतन अवधि ठेकेदार द्वारा निर्धारित की जाए तथा यह एक माह से अधिक नहीं होनी चाहिए । ठेकेदार तिमाही आधार पर बैंक द्वारा सत्यापन के लिए बैंक कार्य हेतु नियत इसके कर्मचारियों के हस्ताक्षर के एवज में वेतन वितरण विवरणी प्रस्तुत करेगा । यदि नकद भुगतान किया गया है तो, इसे बैंक अधिकारी की

उपस्थिति में इसके हस्ताक्षर के साथ किया जाना चाहिए । वैकल्पिक रूप में, यह कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा किया जा सकता है तथा भुगतान को दर्शाने वाली बैंक विवरणी प्रस्तुत की जा सकती है ।

vi. प्रधान नियोक्ता अर्थात बैंक ठेकेदार द्वारा उसको दिए गए कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उपलब्ध करवाए गए कर्मचारियों को कोई भी रोजगार लाभ प्रदान करने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। यदि ठेकेदार द्वारा उसके किसी प्रभावी कानून के अनुसार उसके दायित्व का निर्वहन करने में उसकी ओर से हुई चूक के कारण बैंक को प्रधान नियोक्ता के रूप में ठेकेदार द्वारा लगाए गए किसी कर्मचारियों को किसी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है तो बैंक द्वारा इस प्रकार की राशि की वसूली ठेकेदार से बैंक के बकाया ऋण के रूप में की जाएगी ।

vii. ठेकेदार करार के निष्पादन के लिए उसके द्वारा लगाए गए मजदूर अथवा किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पूरी तरह से अनुपालन करने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा । भारतीय रिजर्व बैंक के परिसर में उसके कर्मचारी / श्रमिक के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत के मामले में, उसकी शिकायत ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी तथा उक्त शिकायत के संबंध में अधिनियम के तहत उपयुक्त कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाएगा । ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न तथा इससे संबन्धित मुद्दों की रोकथाम के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा ।

viii. वर्तमान अनुबंध, संबन्धित दस्तावेज, जिनमें अनुलग्नक भी शामिल हैं, हिंदी और अंग्रेजी में लिखे गए हैं, दोनों संस्करणों को प्रामाणिक समझा जा रहा है, लेकिन कानूनी उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दी जाएगी।

गैर प्रकटीकरण खण्ड:

ठेकेदार बैंक के बुनियादी ढांचे / प्रणालियों / उपकरणों आदि के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी सूचना, सामग्री तथा विवरण, जो इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने के दौरान ठेकेदार के संज्ञान में आ सकते हैं, का खुलासा तृतीय पक्ष को नहीं करेगा तथा हर समय इस कठोर विश्वास को बनाए रखेगा । ठेकेदार लागू कानून के अनुपालन तथा दायित्व का निर्वहन करने के लिए वर्तमान आवश्यकता के अतिरिक्त करार के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा । ठेकेदार बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी स्थान पर अथवा किसी भी व्यापार अथवा तकनीकी दस्तावेज़ में कार्य के किसी भी विवरण को प्रकाशित करना, प्रकाशित करने की अनुमति तथा खुलासा नहीं करेगा । किसी भी गोपनीय सूचना के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी नुकसान की क्षतिपूर्ति ठेकेदार करेगा । उपरोक्त का पालन करने में विफल होने पर इसे ठेकेदार की ओर से करार का उल्लंघन माना जाएगा तथा बैंक नुकसान का दावा करने तथा कानूनी कदम उठाने के लिए पात्र होगा । ठेकेदार इस करार के तहत गोपनीय जानकारी के गैर प्रकटीकरण के दायित्व को पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्मचारियों के संबंध में उचित कार्रवाई करेगा । गैर प्रकटीकरण तथा गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार की बाध्यता, जो भी कारण हो, इस करार को समाप्त होने से बचाए रखेगी ।

जांच / मूल्यांकन :

निविदा में दो भागों का समावेश होगा अर्थात भाग I "कार्यक्षेत्र तथा वाणिज्यिक स्थितियां" तथा भाग II "मूल्य बोली", दोनों एलेक्ट्रोनिक फॉर्म में प्रस्तुत की जाएँ ।

i. निविदाकर्ता द्वारा निविदा दो भागों में प्रस्तुत की जाएगी । भाग I जिसमें "कार्य क्षेत्र तथा वाणिज्यिक स्थितियों का दायरा", इलेक्ट्रोनिक फॉर्म में प्रस्तुत की जाए जिसमें निम्न का समावेश होगा:

   क. एनईएफ़टी के रूप में रु. .... (रुपये .... शब्दों में) की बयाना राशि । इस जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।
   ख. निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर कंपनी / फर्म की मुहर के साथ मुख्तारनामा / अधिकार पत्र
   ग. निविदा के तहत दस्तावेजी साक्ष्य तथा आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करना
   घ. यह दर्शाते हुए एक घोषणा कि निविदाकर्ता किसी भी बैंक / वित्तीय संस्थान का इरादतन चूककर्ता (विलफुल डिफ़ाल्टर) नहीं है तथा कंपनी / व्यक्ति के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला नहीं है।
   ङ. बिना कोई मूल्य दर्शाए मूल्य ब्रेक अप अनुसूची के अनुसार समस्त घटकों को सूचीबद्ध करते हुए अप्रत्यक्ष मूल्य बोली
   च. कोई अन्य सूचना जो निविदाकर्ता देना चाहता है।

ii. निविदा का भाग II जिसमें "मूल्य बोली" का समावेश होगा को इलेक्ट्रोनिक फॉर्म में प्रस्तुत की जाएँ जिसमें अंकों तथा शब्दों दोनों में केवल भारतीय रुपये में विस्तृत मूल्य ब्रेक अप (प्रारूप के अनुसार) का समावेश हो। भाग II में किसी अन्य संलग्नक की अनुमति नहीं है । निविदा के भाग II के नियम, शर्तों तथा विचलन में यदि कोई परिवर्तन, यदि कोई हो, पाया जाता है तो इस पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इसे अशक्त और शून्य माना जाएगा ।

iii. निविदा का भाग I उन निविदाकर्ताओं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा जो उपस्थित होना चाहते हैं ।

iv. सर्वप्रथम निविदाओं की यह निर्धारित करने के लिए जांच की जाएगी कि क्या वे पूर्ण हैं तथा आवश्यक तथा महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करते है, जैसा कि निविदा दस्तावेज़ में दर्शाया गया है, वे निविदाएँ जो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हैं उन्हें अनुत्तरदायी तथा अनदेखा माना जा सकता है ।

v. निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे कार्यस्थल/लों / गतिविधियों अर्थात रेलवे स्टेशन तथा बैंक परिसर का दौरा करें तथा बोली प्रस्तुत करने से पूर्व अपने स्वयं को इन स्थलों से परिचित करवाएँ।

vi. जिनकी निविदा का भाग I जांच के पश्चात पात्र पाया गया है केवल उन निविदाकर्ता(ओं) की मूल्य बोली (भाग II) बाद में खोली जाएगी ।

vii. बैंक उस निविदाकर्ता को ठेका देगा जिसकी निविदा उस निविदा दस्तावेज में उल्लिखित सभी शर्तों को पर्याप्त रूप से पूरा करती है तथा जिसने एल1 आने के लिए करार के सभी घटकों के मूल्यों पर विचार करते हुए यथोचित आकलित बोली मूल्य का प्रस्ताव दिया है।

viii. कार्य की संवेदनशीलता के मद्देनजर बैंक को यह स्वतंत्रता होगी कि वह न्यूनतम बोली वाली अथवा किसी भी निविदा को स्वीकार न करे तथा निविदा प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर किसी भी या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा ।

अनुलग्नक I

<u>एनईएफ़टी जानकारी</u>

संस्था का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, भोपाल

पता – होशंगाबाद रोड, भोपाल , 462 001

1	खाताधारक का नाम (बैंक खाते के अनुसार)	भारतीय रिज़र्व बैंक, भोपाल
2	**खाता संख्या**	**186003001**
3	खाते का प्रकार	**चालू खाता**
4	**PAN क्रमांक**	**AAIFR 5286M**
5	बैंक का नाम	**RBI, भोपाल**
6	शाखा का नाम	**RBI, भोपाल**
7	Address of the Bank	**RBI, भोपाल**
8	**NEFT/IFS कोड**	**RBIS0BLPA01**
		(0 अर्थात शून्य)
9	खाते का नाम	**RBI, NEFT, Inward Received**
10	GSTIN	**23AAIFR5286M120**

निविदा फॉर्म

भाग- I: तकनीकी बोली

1. निविदाकार का विवरण

1.	व्यक्ति/कंपनी/फर्म/संस्था/स्वत्वधारी का नाम	
2.	पता	
3.	टेलीफोन/मोबाइल नंबर	
4.	ई-मेल	
5.	पैन नंबर	
6.	दस्तावेजी साक्ष्य के साथ जीएसटीआईएन	
7.	व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण	

2. बैंक खाता विवरण

1.	बैंक का नाम	
2.	बैंक शाखा का पता, आईएफ़एससी संख्या	
3.	बैंक खाते का प्रकार एवं खाता संख्या	
4.	चूक का विवरण, यदि को हो	

3. **समान प्रकार की सेवाए प्रदान करने में अनुभव:**

कार्यालय/कंपनी का नाम	**पता व टेलीफ़ोन न.**	**संविदा की अवधि**

4. **बयाना राशि जमा (ईएमडी) का विवरण:**

राशि_________________________________रूपये

एनईएफ़टी रिफ्रेन्स क्र.__________________

दिनांक ______________________________

जारी करने वाले बैंक शाखा का नाम/पता ____

मै भारतीय रिज़र्व बैंक, भोपाल द्वारा निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित नियम और शर्तो से सहमत हूँ।

दिनांक:____________

____
आवेदक के हस्ताक्षर

नाम-
(___________________________)
(फर्म/कंपनी की रबड़ स्टम्प।सील सहित)

भाग II – अमूल्यांकित बोली

किए जाने वाले कार्यों की अनुसूची एवं दरें (सभी कर सहित)

क्रसं	मद का विवरण	Rates(₹)
1	भरी हुई नोट पेटियों/भरे हुए पेटेन्ट नोट बक्से (अनुमानित वजन 70 किग्र से 150 किग्र तक-मूल्यवर्ग पर निर्भर होगा) (अ)बक्से रेल्वे वैगनों से उतारना, लॉरियाँ में चढ़ाना तथा भोपाल रेल्वे से बैंक के कोष्ठ में वहन करना तथा उतारना, वजन करना, ढेर लगाना तथा कोष्ठ में रखना या इसके विपरीत क्रम में करना।	
	(ब) रेल्वे वैगनों से उतारना, लॉरियों में भोपाल रेल्वे स्टेशन से बैंक के अहाते में वहन करना तथा रात्रि अभिरक्षा कोष्ठ(ओवरनाईट वॉल्ट) में बक्सों का ढेर लगाना।	
	(स)अभिरक्षा कोष्ठ से भरे हुए बक्से बाहर निकालना, वजन करना एवं अन्य कोष्ठ में ढेर लगाना।	
2	भरी हुई/भरे हुए नोट पेटियाँ (अनुमानित वजन 70 किग्रा से 150 किग्रा तक) ढेरों से नोटों की पेटियाँ बाहर निकालना, उन्हे जमीन पर ठीक प्रकार से रखना तथा उसी कोष्ठ में उनका पुन: ढेर करना/लगाना	
3	भरी हुई नोट पेटियाँ/बक्से (अनुमानित वजन 70 किग्रा से 150 किग्रा) किसी एक ही कार्य के लिए जैसे कि ढेर लगाना/उसी कोष्ठ में फैलाना	
4	भरी हुई नोट पेटियाँ/बक्से (अनुमानित वजन 70 किग्रा से 150 किग्रा) उन्हे एक कोष्ठ से दूसरे कोष्ठ में स्थान परिवर्तन करना तथा ढेर लगाना	
5	भरी हुई/भरे हुए नोट पेटियाँ/बक्से (अनुमानित वजन 70 किग्रा से 150 किग्रा) कोष्ठ से बक्सों को बाहर निकालना, वजन करना तथा कंटेनर में रखना	

6	खाली बक्सों का कौष्ठ से भंडार में स्थानांतरण (वजन अनुमानित 10 किग्रा से 25 किग्रा)	
7	सिक्के की थैलियाँ, कोष्ठ से निकालना, वजन करना तथा कंटेनर में रखना अथवा कंटेनर से सिक्के की थैलियाँ उतारना, वजन करवाना तथा कोष्ठ में जमाना (अनुमानित वजन 10 किग्रा से 18 किग्रा)	
8	सिक्के की भरी थैलियों का, सिक्का कोष्ठ में ढेर लगाना (अनुमानित वजन 10 किग्रा से 18 किग्रा)	
9	सिक्कों से भरी हुई थैलियाँ (अनुमानित वजन 10 किग्रा से 18 किग्रा तक) ढेरों से सिक्कों से भरी थैलियाँ बाह्र निकालना, तथा उनका पुन: ढेर करना/लगाना	
10	सिक्कों से भरी हुई थैलियाँ (वजन अनुमानित 10 किग्रा से 18 किग्रा) दैनंदिन कोष्ठ से भूतल कोष्ठ में स्थान परिवर्तन करना	
11	सिक्कों से भरी बोरियाँ (वजन अनुमानित 10 किग्रा से 18 किग्रा) उसी कोष्ठ में बाहर निकालना तथा ढेर लगाना	
12	गंदे नोटों के बक्सों को ट्रक से निकालना, वजन करना, कोष्ठ में जमाना	
13	गंदे नोटों के बक्सों को ट्रक से निकालकर रात्रि अभिरक्षा कोष्ठ(ओवरनाईट वाल्टों) में रखना	
14	गंदे नोटों के बक्सों को रात्रि अभिरक्षा कोष्ठ(ओवरनाईट वाल्टों) से निकालना, वजन करना और चेस्ट नोट कोष्ठ में जमाना	
15	खाली बक्सों का कौष्ठ से भंडार में स्थानांतरण (वजन अनुमानित 10 किग्रा से 25 किग्रा)	
16	कोष्ठों से खाली बिनों को खुली जगह पर हटाना/स्थानांतरित करनाया इसके विपरीत क्रम में करना (अ) छोटी बिन, चार खानों वाली(वजन अनुमानित 200किग्र से 250किग्रा)	
	(ब) बड़ी बिन, छ: खानों वाली(वजन अनुमानित 300किग्र से 350किग्र)	

मैं भारतीय रिज़र्व बैंक, भोपाल द्वारा निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित नियम व शर्तो से सहमत हूँ।

____

दिनांक:____________ आवेदक के हस्ताक्षर

नाम-

____

(फर्म/कंपनी की रबड़ स्टम्प/सील सहित)